1213054/26/9/12

/ वाणिज्य कर

पत्र सं0-विधि-टैक्स आडिट-सामान्य-2012-13 /-4(8)/990/

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि-अनुभाग)

लखनऊ दिनांक :: सितम्बर, 26 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

धारा-44 की उपधारा-44(3) के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में कुछ अधिकारियों द्वारा कतिपय भ्रांतियाँ तथा संदेह अभिव्यक्त किए गए है , जिसके दृष्टिगत वस्तुस्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जा रही है ।

धारा -44 के प्राविधानों के परिशीलन से स्पष्ट है कि उपधारा 44(1) में उन Purposes का उल्लेख है जिनके लिए टैक्स आडिट अवधारित किया गया है। यह टैक्स आडिट किन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा यह उल्लेख उपधारा 44(2) में किया गया है । उपधारा 44(3) में टैक्स आडिट के उपधारा 44(1) में प्रदत्त Purposes के लिए टैक्स आडिट हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे डीलर को अपने कार्यालय में records तथा documents के प्रस्तुतीकरण के लिए निर्देशित कर सकते हैं ।

अत: उपधारा 44(3) में वर्णित उपधारा 44(1) के उल्लेख से इस हेतु प्राधिकृत अधिकारियों का टैक्स आडिट करने का अधिकार या इस हेतु records या documents को संबंधित डीलर को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का अधिकार किसी भी प्रकार बाधित नहीं होता है क्योंकि Legislature की मंशा धारा-44 के निहित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में पूर्णत: स्पष्ट है और उसमें कोई भ्रांति नहीं है । साथ ही उपधारा 44(2) के प्राविधानों में यह उल्लेख कि "Any officer, not below the rank of an assessing authority, appointed by the State Government or the Commissioner and posted in the audit wing of the department administering this Act or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf may, undertake tax audit of the records, stock in trade and the related documents of the dealers, who are specified or selected in the manner prescribed under sub-section (1)" इस परिप्रेक्ष्य की वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर देते हैं ।

अत: चूंकि उपधारा 44(3) वस्तुत: उपधारा 44(1) तथा 44(2) का Elongation ही है अत: टैक्स आडिट हेतु संबंधित डीलर को records तथा documents के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित करने हेतु की गयी कार्यवाही पूर्णतया विधिक प्राविधानों के अनुरूप है ।

उक्त के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर के निर्देशों के क्रम में प्रेषित किया जा रहा है ।

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , लखनऊ

पृष्ठांकन पत्रांक व दिनांक ::उक्त

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1-समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त डिप्टी कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , लखनऊ